न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस

अपील संख्याः 46/23
(जीसीएमएस संख्या 2023/192)

निर्णय दिनांकः– 14-08-25

1. नारायणदान पुत्र हेमदान जाति चारण निवासी 6/8, ए.एम. संतोष नगर तहसील बज्जू जिला बीकानरे।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. हंसराज पुत्र भाखरराम जाति बिश्नोई निवासी फूलासर छोटा तहसील बज्जू जिला बीकानेर
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार बज्जू जिला बीकानेर।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 25–11–2022
उपखण्ड अधिकारी, बज्जू

उपस्थितः–
1. श्री रामचन्द भाटी, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री हरिराम बिश्नोई, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
3. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट्स ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, बज्जू के आदेश दिनांक 25–11–2022 जिसके द्वारा अपीलांट्स का रिसीवर कायम करने का प्रार्थना पत्र विधि विरूद्व तरीके से स्वीकार किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपनी बहस में बताया कि अपीलाण्ट पाक विस्थापित है तथा पाकिस्तान में अपना घर–बार छोड कर हिन्दूस्तान आये तब जहां भारत सरकार ने विस्थापितों को रहने के

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

लिए जगह दी वहां अपीलाण्ट अपने परिवार सहित निवास करता आ रहा है तथा जीवन व्यापन के लिए उपरोक्त भूमि को काश्त कर अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करता आ रहा है। अपीलाण्ट का आराजी मुतनाजा पर गत 50 वर्ष से अधिक समय से कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है। मौके पर अपीलाण्ट ढाणी कुण्ड आदि बना कर अपने परिवार सहित निवास करता आ रहा है। अपीलाण्ट धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत आराजी मुतनाजा का खातेदार काश्तकार हो चुका है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बज्जू के समक्ष अन्तगर्त धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया तथा वावगत भूमि का कब्जा प्राप्त करने का अनुतोष चाहा है। वादपत्र में पक्षकारान/प्रतिवादी का जवाब प्राप्त होने के बाद तनक्रियात कायम की जाकर साक्ष्य, बहस उपरान्त कोई निर्णय पारित किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र अपीलाण्ट को वादगत भूमि से जबरन बेदखल करने की नियत से बिना किसी आवेदन के ही दिनांक 25.11.2022 को वादगत भूमि को कुर्क कर रिसिवर नियुक्त करने के आदेश प्रदान किये जो कानून एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अभिभाषक अपीलांट ने आगे कथन किया कि कानूनन वादगत भूमि को कुर्क करने एवं रिसिवर नियुक्त करने की कार्यवाही धारा 145, 146 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत की जाती है जिसकी प्रक्रिया अलग है। वाद में वादगत भूमि को कुर्क करने व रिसिवर नियुक्त करने के आदेश प्रदान नहीं किये जा सकते। वाद धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया है तो उन धाराओं के तहत ही अनुतोष प्रदान किया जा सकता है। राजस्व न्यायिक कार्यवाही में दाण्डिक कार्यवाही को समाहित नहीं किया जा सकता जिससे आदेश दिनांक 25.11.2022 कानूनी प्रक्रिया का गलत एंव दुरूपयोग किये जाने से निरस्त किये जाने योग्य है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम काश्तकारों के हित अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया है तथा धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में काबिज व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत वादगत भूमि को कुर्क कर रिसिवर नियुक्त करने के आदेश दिये है अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादगत भूमि को कुर्क करने व रिसिवर नियुक्त करने के लिए किसी भी पक्षकार द्वारा कोई आवेदन नहीं दिया गया। कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं होने की स्थिति में जवाब भी नहीं दिया गया। आदेश दिनांक

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

25.11.2022 के अवलोकन मात्र से साबित है कि अपीलाण्ट की ओर से कोई बहस नहीं की गई, यहां तक कि अपीलाण्ट को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया एंव मनमाना एंव एकतरफा आदेश पारित किया है। कानूनन किसी भी प्रकार का कोई आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित पक्षकार को सबूत सुनवाई का अवसर दिया जाना मेण्डेटरी है जो अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को नहीं दिया एंव बाला बाला ही सरासर एकतरफा आदेश पारित किया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 25–11–2022 निरस्त फरमाया जावे। जो कानून एंव विधि विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अभिभाषक अपीलांट ने मियांद पर कथन किया कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 02–05–2023 को प्राप्त हुई जब तहसीलदार एवं हल्का पटवारी मौके पर आये व मौका निरीक्षण करने लगे। उसके पश्चात प्रतिलिपी प्राप्त कर जानकारी की प्रथम दिनांक से अपील अंदर मियांद प्रस्तुत की है। विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों में भी यह स्पष्ट किया गया है कि तकनीकी बिन्दुओं को गौण रखते हुए प्रकरण को गुणावगुण पर ही निस्तारित किया जाना चाहिए।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने मियांद पर कथन किया कि अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील स्पष्ट तौर पर मियादं बाहर प्रस्तुत की गई है। अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियांद अधिनियम में जो विलम्ब के कारण अंकित किये है वो मनगढत एवं संतोषजनक कारण नहीं है। अतः अपीलांट्स द्वारा जानबूझकर अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब किया गया है। ऐसे में अपीलांट्स की अपील मियादं बाहर होने के कारण मियांद के बिन्दु पर ही खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेन्ट वादगत भूमि का खातेदार काश्तकार है तथा अपीलांट वादगत भूमि के समिपवर्ती भूमि के काश्तकार है तथा लालची व झगडालू प्रवृति के व्यक्ति है। रेस्पोडेन्ट का एक खातेदारी खेत चक 8 एसएचएम के मुरब्बा नं 32/46 के किला नं 1 ता 3. 8 ता 13, 17 ता 25 कुल 18 बीघा कमाण्ड व किला नं. 4 ता 7. 14 ता 16 कुल 7 बीघा अनकमाण्ड कुल तादादी 25 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि स्थित है तथा रेस्पोडेन्ट के कब्जे काश्त में हैं। राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में रेस्पोडेन्ट

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

के नाम दर्ज हैं तथा रेस्पोडेन्ट के नाम लगान कायम होता हैं। रेस्पोडेन्ट ने वर्तमान में अपनी उपरोक्त वर्णित भूमि के कुछ हिस्से में चने की फसल काश्त की हुई है, जो अच्छी हालत में खड़ी है। रेस्पोडेन्ट ने अपनी उपरोक्त वर्णित बादगत भूमि की सार संभाल हेतु पडौस के काश्तकार को सम्भला रखी है। दिनांक 10.12.2021 को जब रेस्पोडेन्ट व उसका काश्तकार शादी में शामिल होने के लिये अपने रिश्तेदारों के यहां गये हुए थे तब पीछे से मौका पाकर अपीलांट सं 1 वादगत भूमि पर जबरन नाजायज कब्जा कर लिया तथा मौके पर बने हुए मकानात में काबिज हो गया।

अपीलांट को रेस्पोडेन्ट सं. 1 की खातेदारी भुमि पर जबरन अतिक्रमण कर नाजायज कब्जा करने का कतई अधिकार नहीं हैं। रेस्पोडेन्ट को अब यह अधिकारी पैदा हो गया है कि वह अपीलांट को अपनी खातेदारी भूमि से बेदखल कर कब्जा प्राप्त करे। इसलिए रेस्पोडेन्ट द्वारा एक दावा व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण कानूनी प्रकिया अपनाते हुए रिसीवर के आदेश प्रदान किये है। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट कथन किया कि अपीलांट द्वारा जिस आदेश के विरूद्ध अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है वह आदेश अंतरिम श्रेणी का आदेश है उसके विरूद्ध अपील नही की जा सकती है। तथा अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायलय के समक्ष अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का जवाब नही दिया गया। तथा रिसीवर नियुक्त करने के आदेश वकील के मौखिक निवेदन करने पर किया गया है। जब वकील अप्रार्थी/अपीलांट को रिसीवर नियुक्त करने की जानकारी थी तो पक्षकार को जानकारी नही होने के प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है। इसलिए अपीलांट का यह कथन स्वीकार नही है कि उसे उक्त आदेश की जानकारी नही थी। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया। प्रकरण में सर्वप्रथम मियाद का बिन्दू तय किया जाना है। प्रकरण में जहां तक मियांद का प्रश्न है, अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 25–11–2022 के विरूद्ध अपील दिनांक 12–06–2023 को प्रस्तुत की है। अपीलांट द्वारा अपील के साथ में धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें अपीलाधीन आदेश की प्रथम जानकारी से अपील अंदर मियांद प्रस्तुत किया जाना अंकित किया है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट का कथन है कि अपीलांट ने जान बूझकर अपील विलम्ब से प्रस्तुत की है। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर पारित किया गया है। जहॉ एकपक्षीय आदेश पारित किया जाता है वहॉ पक्षकारो को अपीलाधीन आदेश की जानकारी की दिनांक से मियाद अवधि लागू होगी। साथ ही जहॉ विलम्ब में अवधि अत्यधिक न हो वहॉ प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना श्रेयस्कर है। एवं विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों में भी यह स्पष्ट किया गया है कि प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिन्दुओं की जगह गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपीलांट की अपील अंदर मियांद शुमार की जाती है।

6. प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण कर प्रश्न है अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि धारा 212 आरटीए के तहत प्रार्थना पत्र दिनांक 28–12–2021 को प्रस्तुत हुआ और जिसमें पक्षकारान को तलब कर स्टेट से मौका रिपोर्ट चाही गई और पत्रावली वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र हेतु लंबित थी। आदेशिका दिनांक 11–11–2022 को पत्रावली जवाब प्रार्थना पत्र हेतु लंबित थी जिसमें आगामी तारीख पेशी 25–11–2022 नियत की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 25–11–2022 को बिना जवाब प्रार्थना पत्र लिए प्रकरण में रिसीवरी का आदेश जारी कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में न तो अपीलांट/अप्रार्थी का जवाब लिया गया साथ ही स्टेट का जवाब भी पत्रावली पर उपलब्ध नही है। जबकि अपीलाधीन आदेश में स्टेट की ओर से प्रस्तुत जवाब के आधार पर रिसीवरी आदेश किया जाना उल्लेखित है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्तर्गत धारा 183 आरटीए का दावा लंबित था जिसके साथ यह धारा 212 आरटीए का प्रार्थना पत्र लगाया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा लंबित रहते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर जारी किया गया रिसीवरी का आदेश विधिक त्रुटि की श्रेणी में आता है। मूल दावा अन्तर्गत धारा 183 आरटीए का था जिसमें गुणावगुण पर यह निर्णय होना था कि अपीलांट को अपीलाधीन भूमि से बेदखल किया जाए अथवा नही? परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रकिया का दुरूपयोग करते हुए अप्रार्थी का बिना जवाब प्रार्थना पत्र लिए और बिना बहस सुने रिसीवरी जैसा कठोरतम आदेश पारित कर दिया।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

पटवारी रिपोर्ट एवं वादी द्वारा प्रस्तुत दावे से प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि अपीलाधीन भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त है। कब्जेधारी को विधि की सम्यक प्रकिया अपनाए बिना बेदखल नही किया जा सकता है। विधि की प्रकिया के तहत रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलांट को बेदखल करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 आरटीए दायर किया गया था जो कि गुणावगुण पर सुनकर निर्णित होना शेष था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनावश्यक जल्दबाजी दिखाते हुए एवं विधिक प्रकिया का स्पष्टतः उल्लंघन करते हुए दावे के सब्ज्युडिस रहते हुए प्रार्थना पत्र में ही रिसीवरी का आदेश पारित कर अपीलांट को बेदखल करने का शॉटकट तरीका अपनाया है। जो कि विधिक दृष्टि से सही नही है।

आरआरडी 1971 पेज 43, आरआरडी 1973 पेज 679, आरआरडी 1974 पेज 355, आरआरडी 1975 पेज 106 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि रिसीवर नियुक्ति का आदेश न्यायालय का सबसे सख्त आदेश है। अतः इस प्रकार का आदेश दोनो पक्षकारो को सुनकर ही पारित करना चाहिए।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर नही दिया। और स्टेट के जवाब के आधार पर एकपक्षीय रूप से अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो कि पुष्टि योग्य आदेश नही है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 25–11–2022 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में इन निर्देशो के साथ प्रेतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्षो को सुनवाई का समुचित अवसर देकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

8. निर्णय आज दिनांक 14-08-25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर